

## कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ।

### दवा/उपस्कर/सामग्री आदि कय हेतु अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण

स्वास्थ्य विभागीय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-72(12) दिनांक 19.01.16 के आलोक में नशा मुक्ति केन्द्र से संबंधित औषधि, उपस्कर सामग्री आदि के कय के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी पंजीकृत निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर तकनिकी एवं वित्तीय मुहरबन्द निविदाएँ अलग-अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है । निविदाएँ सिविल सर्जन, सहरसा के पदनाम से सम्बोधित होनी चाहिए ।

1. सभी निविदादाता वेत के अन्तर्गत निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे ।
2. आयकर पेन नं० तथा अध्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
3. जिन निर्माताओं का औषधि की आपूर्ति की जाएगी उनके द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र संलग्न करना होगा ।
4. निविदा के साथ अग्रधन गो० 25,000.00 (पच्चीस हजार) रु० की राशि एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट, जो सिविल सर्जन, सहरसा के पदनाम से प्रतिज्ञापित हो, संलग्न करना होगा ।
5. यदि निविदादाता निर्माता हो तो निविदा के साथ औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति, औषधि निर्माण हेतु औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूची संलग्न करना होगा ।
6. यदि निविदादाता प्राधिकृत विक्रेता हो तो निविदा के साथ औषधि बिक्री अनुज्ञप्ति प्रपत्र 20बी एवं 21 बी तथा जिन निर्माताओं का प्राधिकार पत्र समर्पित किया जा रहा है, उन निर्माताओं का औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति निर्माण हेतु औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूची संलग्न करना आवश्यक है ।
7. जी०एग०पी० अथवा आई०एस०ओ० प्रमाण पत्र प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित दवा का दर अनुमोदन किया जाएगा ।
8. बिहार राज्य अवस्थित लघु उद्योग इकाई को अग्रधन राशि की 20% जमानत राशि के रूप में एन०एस०सी० संलग्न करना होगा एवं नियमानुसार इन्हें अधिमान्यता दी जाएगी ।
9. दवा आदि की आपूर्ति एफ०ओ०सी० जिला मुख्यालय में करना होगा ।
10. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगा एवं किसी भी निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार कय समिति को सुरक्षित रहेगा ।
11. निर्धारित तिथि के अन्दर निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा में पहुँच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि के अंतिम तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन पड़नेवाले कार्य दिवस को 5.00 बजे अग० तक ही मान्य होगा । अन्यथा विचार नहीं किया जाएगा ।
12. फर्म के मालिक/पार्टनर का नाम, स्थायी पता एवं वर्तमान पता फोन नं०, गोबाईल नं० एवं फैक्स नं० सहित देना आवश्यक होगा ।
13. निर्धारित तिथि के अन्दर निविदा प्राप्त करने के अंतिम तिथि के दूसरे दिन पड़नेवाले कार्य दिवस को 11.30 बजे पूर्वा० में अधोहस्ताक्षरी वेश्म में जिला कय समिति के समक्ष प्राप्त तकनिकी निविदा खोला जाएगा । निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं । जिसकी सूचना दूरभाष नं०-06478223431 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।
14. निविदा खोलते समय गशीन उपकरण, उपस्कर आदि का नमूना प्रस्तुत करना होगा । प्रस्तुत नमूना के आधार पर ही कय की जानेवाली सामानों की मिलान के उपरान्त ही गुणवत्ता सही पाए जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को गुगतान की जाएगी ।
15. निविदादाता जिरा विभाग से मूलतः निबंधित अथवा अनुज्ञापित हो उस विभाग द्वारा जारी शौतिक अस्तित्व प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
16. औषधि सामग्रियों का दर Per-unit (टैक्स) कर सहित एवं रहित दोनों स्पष्ट अक्षरों में अंकित करेंगे ।
17. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा अनुमोदित दर के टर्म एण्ड कण्डीसन में उल्लिखित प्रावधान के तहत प्रत्येक विपत्र के शुद्ध गुगतेय राशि के 2 प्रतिशत की दर से दवा की गुणवत्ता जाँच के रूप में राशि भुगतान के समय कटौती की जाएगी ।
18. आपूर्ति की जानेवाली दवाओं के लबेल पर Bihar Govt. supply not for sale लिखा हुआ हो तथा अवसान तिथि कम से कम 18 माह रहना चाहिए ।
19. दर अनुमोदित होने के पश्चात किसी दवा/उपकरण एवं सामग्री का दर बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० पटना द्वारा अनुमोदित हो जाता है उस स्थिति में नियमानुसार उक्त संस्थान के अनुमोदित दर पर ही दवा, गशीन उपकरण, उपस्कर आदि खरीद की जाएगी ।
20. निविदादाता के द्वारा प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करना होगा कि स्वयं अथवा उनके द्वारा समर्पित दवा निर्माता कम्पनी के उपर किसी भी प्रकार की फौजदारी मुकदमा अथवा बिहार सरकार अथवा अन्य प्रदेश की सरकार द्वारा उन्हीं कम्पनी को काली सूची में डाला नहीं गया है । संबंधित प्रतिशपथ पत्र मूल में देना होगा ।
21. आपके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेख अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित तथा पृष्ठांकित होना चाहिए ।
22. औषधि एवं अन्य सामग्रियों की सूची किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा सहरसा के वेबसाईट [saharsa.bih.nic.in](http://saharsa.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है ।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
11.2.16

**OFFICE OF THE CIVIL SURGEON CUM-CHIEF MEDICAL OFFICER , SAHARSA .**

**DETAILS OF TENDER**

Sl. No.	Particular	Details	Including page No. of technical bid	Remarks
1	Name of the firm with address			
2	Name of the Proprieter with address			
3	Earnest Money Details			
4	D.L. No. and vldity			
5	Vat. /Tin No.			
6	PAN No.-			
7	Income Tax certificate			
8	Clearance Tax certificate			
9	Physical Existance Certificate			
10	Nonconvication certificate			
11	Affidavit Black listed certificate in orignal			

**DETAILS OF MANUFACTURER**

Sl. No.	Particular	Details	Including page No. of technical bid	Remarks
1	Name of the company & address			
2	Authority letter given			
3	DI No. & Validity			
4	GMP certificate & validity or ISO certificate and validity			
5	Vat. /Tin No.			
6	Non convication certificate			
7	Income Tax certificate PAN No.			
8	PAN No.			
9	Approved Drugs listed attached			
10	Affidavit Black listed certificate in orignal			

Siganture of Tendror

